



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112021-230966
CG-DL-E-06112021-230966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943

No. 541]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 28.4/2010-एफएसएआई(1)(भाग एफ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं0 फाइल सं0 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 28.4/2010-एफएसएआई(1), तारीख 27 अगस्त, 2020 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) संशोधन विनियम, 2020 का प्रारूप उससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था, जिस तारीख को उस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 3 सितंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और खाद्य कारोबारी इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन दिनांक 1 जून, 2022 से करेंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य), विनियम, 2011 के,—
 - (1) उप-विनियम 2.4.11 के “बच्चों के लिए फॉर्मला वाले पूरक” से संबंधित खंड (4) की मद (10), जो “प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति” से संबंधित है, के नीचे उप-मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्,—

“(ii) लेबल पर पोषक तत्वों अथवा पोषण संघटकों के घोषित मान में -10.0 प्रति शत का विचलन अनुमत होगा और पोषक तत्वों का स्तर संघटन सारणियों में यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होगा।”;
 - (2) “बेलित जई” से सम्बंधित उप-विनियम 2.4.12 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

2.4.12 जई उत्पाद.—

1. क. वेल्लित जई.—जई वेल्लित/फ्लेक से अदूषित विशलिक्त जई (*Avena Sativa*) से बनाया गया उत्पाद अभिप्रेत है। यह योजित रंग, सडांध और सुवासकारी पदार्थों से मुक्त हो। यह हल्के क्रीम रंग के एक समान साइज के फ्लेकों के रूप में हो।

ख. जई अंतर्विष्ट करने वाले उत्पाद.—(i) जई उत्पाद से वह उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें जई मुख्य संघटक के रूप में होती है और जिसमें जई का चोकर, जई का आटा, जई का दलिया, जई छिलका, ताप-उपचारित विशलिक्त जई, जई के टुकड़े, जई फ्लेक (विभिन्न मोटाइयों के, जिससे वे इन्स्टेंट, द्रुत पकने वाले बन जाते हैं अथवा साबुत जई) इत्यादि शामिल हैं। इन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं, यथा ताप-उपचार, शुष्कन, वेल्लन, चिराई, कटाई, मोटी कटाई, दलाई, विशल्कन, फ्लेकिंग, पिसाई इत्यादि से तैयार किया जा सकता है।

(ii) जई उत्पादों में आम खाद्य लवण अथवा लवण विकल्पी, डेयरी उत्पाद और सदृश उत्पाद, प्राकृतिक और गैर-पोषक मधुरक, शर्करा और शर्करा उत्पाद, शहद, इन्वर्ट शूगर, गुड़, डेक्स्ट्रोज, खाद्य खंडसारी, द्रव ग्लुकोज, फल और सब्जियाँ तथा उनके उत्पाद (सूखे फलों और सब्जियों सहित), कोको और इसके उत्पाद, नारियल और इसके उत्पाद, अंडा और इसके उत्पाद, ग्लुटेन, गिरियाँ और गिरी उत्पाद, धान्य, फलियाँ, माल्ट और माल्ट सत्त, खाद्य मांड और खाद्य आटे, मसाले, कंडिमेंट, जड़ी-बूटियाँ और उनके अर्क, सीजनिंग, सिरका, खाद्य बीज, प्रोटीन सांद्र या आइसोलेट, एन्जाइम, विटामिन और खनिज और अन्य पोषक तत्व, खाद्य रेशे, माल्टोडेक्स्ट्रन तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई संघटक हो सकते हैं।

- (iii) जई अंतर्विष्ट करने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रयुक्त अनाज और अन्य संघटक अच्छी गुणता के हों तथा उनमें लाक्षणिक स्वाद और गंध हो तथा वे सड़े, फूँदी वाले, खट्टे और अन्य अवांछनीय स्वादों तथा गंधों से मुक्त हों।
2. वेल्लित जई या जई फ्लेक तथा जई अंतर्विष्ट करने वाले उत्पाद कीटों, कुतरने वाले जीवों की बींट और ऐसी ही अन्य बाहर सामग्रियों से मुक्त और वे नीचे सारणी में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करें:

मानदंड	वेल्लित जई/जई फ्लेक	जई अंतर्विष्ट करने वाले उत्पाद
आर्द्रता, %, दृव्यमान अनुसार	12.0 से अनधिक	12.0 से अनधिक
तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अघुलनशील एश (निर्द्व)	0.1 प्रति शत से अनधिक	0.5 प्रति शत से अनधिक
प्रोटीन अंश (अंतरण घटक 6.25), निर्द्व	10.0 प्रति शत से अन्यून	---
कच्चा रेशा, निर्द्व	2.0 प्रति शत से अनधिक	---
एल्कोहलीय अम्लता (90 प्रति शत एल्कोहल सहित), H_2SO_4 के रूप में व्यक्त	0.18 प्रति शत से अनधिक	0.18 प्रति शत से अनधिक
यूरिक एसिड, मिग्रा/किग्रा	100 से अनधिक	100 से अनधिक

2. खाद्य सहयोज्य

उत्पाद में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट 'क' की उचित खाद्य श्रेणियों तथा जीएमपी सारणी, जो भी लागू हो, में उल्लिखित खाद्य सहयोज्य हो सकते हैं। उत्पाद में उन्हीं विनियमों के विनियम 3.3 के अधीन उचित खाद्य श्रेणी के अनुसार अनुमत 'खाद्य उत्पादों में उपयोग के अन्य पदार्थ' भी हो सकते हैं।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/405/2021-22]

टिप्पणी—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं संब्यांको द्वारा संशोधित किये गए थे;—

- 1) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- 2) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- 3) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- 4) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

- 5) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई-पीएन-अधि०/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- 6) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- 7) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 8) फा.सं.पी०15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- 9) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 10) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 11) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- 12) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डइर्स/एसपी(फिशांडफिशरिजप्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- 13) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट1 खाद्य/अधिसूचना (खाद्यसहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- 14) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- 15) फा. सं० 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई- 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- 16) फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- 17) फा.सं.1-120(2)/मानक/किरणि/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- 18) एफ. सं. /11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2017, तारीख 5 सितंबर, 2016;
- 19) फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- 20) फा.सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 21) एफसं. 1-110(2)/एसपी (जैविकखतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्टूबर, 2016;
- 22) फा. सं. मानक/एसपी(जलएवंपेय)/अधि०.(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्टूबर, 2016;
- 23) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जलऔरसुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- 24) एफ.सं. पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- 25) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- 26) फा. सं. मानक/ओ.एंडएफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- 27) फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 28) फा. सं. 1-10(7)/स्टैण्डइर्स/एसपी(मत्स्यऔरमत्स्यउत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- 29) फाइल सं. मनाक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- 30) फाइल सं. स्टैण्डइर्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;
- 31) एफ.सं.1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 31 जुलाई, 2017;
- 32) एफ. सं. मानक/एफएवंबीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017
- 33) फाइल सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेवलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- 34) फा.सं. मानक/एम. एंडएम. पी. आई. पी. (1)/एफ.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;

- 35) फा. सं मानक/एसपी (पानीएवंपेय)/अधि. (1)/एफएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 36) फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछलीऔरमछलीउत्पाद)/एफएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- 37) एफ. सं. 2/मानक/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एँफ़एसएसएआई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- 38) एफ. सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;
- 39) एफ. सं. मानक/ओ एवं एफ/अधिसूचना/एफएसआई-2016, 12 अक्टूबर, 2017;
- 40) फा.सं. 2/स्टैंडस/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एँफ़एसएआई-2016(भाग),तारीख 24 अक्टूबर, 2017;
- 41) फा.सं.ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 42) एफ 1/योजक/मानक/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएआई/2016 तारीख 17 नवंबर, 2017;
- 43) एफ.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी, 2018;
- 44) फा.सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईट और एनरिच्ड फूड)-रेग/एँफ एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- 45) स.1/शिशुपोशण/मानक/अधिसूचना/भा.खा.सु.मॉ.प्रा/2016 तारीख 13 मार्च, 2018;
- 46) एफ° सं° 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;
- 47) फा. सं° स्टैंडर्ड/एससीएसएस एंड एच /अधिसूचना (03)/एफएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- 48) फा° सं° स्टैंडर्ड/ सीपीएल एंड सीपी –एफएसएआई/अधिसूचना/ 2016, तारीख 4 मई, 2018;
- 49) फाइल सं0 मानक/एसपी (एससीएसएएच)/आइस/लोलीस अधिसूचना/एफ.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 50) फा° सं° मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना(3)/एफएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- 51) मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;
- 52) फाइल सं0 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड/अधिसूचना/एफएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;
- 53) फा° सं° मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;
- 54) फा० नं० मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 55) फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 56) फा. सं. मानक/एफ&वीपी/अधिसूचना(04)/एफएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;
- 57) फा. सं.1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशंस/2010-एफ.एस.ए.आई,तारीख26 नवम्बर, 2018;
- 58) फा. सं. 02-01/ ईएनएफ-1 (1)/एफएसएआई-2012, तारीख 29 जनवरी, 2019;
- 59) फा°सं° एसटीडीएस/एफ एंड वीपी/अधिसूचना(07)/एफएसएआई-2018, तारीख 5 जुलाई, 2019;
- 60) फा. सं. मानक/ओ एवं एफ/ अधिसूचना (10)/एफएसएआई-2017, तारीख 5 जुलाई, 2019;
- 61) फा. सं0. स्टैंडर्ड/एसपी(जल और पेय)/अधिसूचना(5)एफ.एस.ए.आई-2018, तारीख 30 अक्टूबर 2019;
- 62) फा° सं° एम एंड एमपी/विविध मानक/अधिसूचना (03)/एफएसएआई-2018, तारीख 28नवंबर, 2019;
- 63) फा. सं0. 1-110/एसपी(जैविक खतरे)/संशोधन-1/एफ.एस.ए.आई-2018, तारीख 23 जून, 2020;
- 64) फा. सं0. स्टैंडर्ड/सीपीएलएंडसीपी/अधिसूचना/01/एफ.एस.ए.आई-2018, तारीख 9 जुलाई, 2020;

- 65) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/01/एफएसएआई-2017, तारीख 9 जुलाई, 2020;
- 66) फा.सं० स्टैंडर्ड्स/एमएंडएमपीआईपी(3)/एसपी/एफ.एस.ए.आई-2018, तारीख 9 जुलाई,2020;
- 67) फाइल सं० ए-1/स्टैंडर्ड्स/एगमार्क/2012-एफ.एस.ए.आई (पी+1), तारीख 23 जुलाई, 2020;
- 68) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एम एंड एमरी/अधिधसूचना (04)/एफ.एस.ए.आई-2019, तारीख 2 सितंबर,2020;
- 69) फा. सं०. स्टैंडर्ड्स/एडिटिव्जस-1/अधिसूचना/एफ.एस.ए.आई-2018, तारीख 16 सितंबर, 2020;
- 70) फा० सं० 1/ अतिरिक्त सहयोज्य-III/मानक/अधिसूचना/एफएसएआई/2017, तारीख 9 अक्टूबर, 2020
- 71) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/प्रोसेसिंग एड्स/अधिसूचना/एफ.एस.ए.आई/2018, तारीख 9 अक्टूबर, 2020;
- 72) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना/2010-एफ.एस.ए.आई, तारीख 29 दिसम्बर, 2020;
- 73) फा. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 27/2010-एफ.एस.ए.आई, तारीख 4 मार्च, 2021;
- 74) फाईल संख्या मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएआई-2017, तारीख 18 मार्च, 2021; और
- 75) फा. सं०. 1-116/वैज्ञानिक समिति/अधिसूचना 28.4/2010-एफ.एस.ए.आई, तारीख 26 जुलाई, 2021

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021.

F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.4/2010-FSSAI(1) (Pt.F).—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India, File No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.4/2010-FSSAI(1), dated the 27th August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd September, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fourth Amendment Regulations, 2021.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and food business operator shall comply with all the provisions of these regulations with effect from 1st day of the June, 2022.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011,—
 (1) in sub-regulation 2.4.11, in clause (4) relating to “Formulated Supplements for Children”, under item (10), relating to ‘Method of sampling and analysis’, for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:—

- “(ii) A variation of minus 10.0 per cent from the declared value of the nutrients or nutritional ingredients on the label shall be allowed and the nutrient levels shall not exceed maximum limits as specified in the composition tables.”;
- (2) for sub-regulation 2.4.12 relating to “Rolled Oats”, the following shall be substituted, namely:—

“2.4.12 OAT PRODUCTS.—

1. (A) Rolled Oats.—Rolled/Flaked Oats (Quick Cooking Oats) means the product made from sound hulled oats(*Avena Sativa*).It shall be free from added colours, rancidity and flavoring agents. It shall be in form of flakes of uniform size having a light cream colour.

1. (B) Products containing oats.—(i) Means the product containing oats as the major ingredient including oat bran, oat flour, oat meal, oat-trim, kilned dehulled oats, Steel cut Oats, Oat flakes (various thickness, which may make them instant, quick cooking or whole oats) etc. These may be made by using various process such as kilning, drying, rolling, slitting, cutting, steel cutting, gritting, de-hulling, flaking, grinding etc.

(ii) It may contains edible common salt or salt substitutes, Dairy products and Analogues, natural and non-nutritive sweeteners, sugar and sugar products, honey, invert sugar, jaggery, dextrose, edible molasses, liquid glucose, fruits and vegetables and their products (including dried fruits and vegetables), cocoa and its products, Coconut and its products, egg and its products, gluten, nut and nut products, cereal, legumes, malt and malt extract, edible starches and edible flours, spices, condiments, herbs and their extracts, seasonings, vinegar, edible seeds, protein concentrates or isolates, enzymes, vitamins and minerals and other nutrients, edible fibres, maltodextrin and any other ingredients as specified in Food Safety and Standards Regulations.

(iii) The grains and other ingredients used in the processing of products containing oats shall be of good quality and shall possess a characteristic taste and odour and shall be free from rancid, musty, sour and other undesirable tastes and odors.

2. Rolled or Flaked Oats and Products containing oats shall be free from insects, rodent excreta and other such foreign matters and shall comply with the requirements given in the table below:

Parameter	Rolled/Flaked Oats	Products containing oats
Moisture % by mass,	Not more than 12.0	Not more than 12.0
Ash insoluble in dilute HCl (on dry mass basis).	Not more than 0.1 percent	Not more than 0.5 percent
Protein content (conversion factor 6.25) on dry mass basis	Not less than 10.0 per cent	---
Crude Fibre on dry mass basis	Not more than 2.0 percent	---
Alcoholic acidity (with 90 percent alcohol) expressed as H ₂ SO ₄ ,	Not more than 0.18 percent	Not more than 0.18 percent
Uric Acid, mg/kg,	Not more than 100	Not more than 100

3. Food Additives

The product may contain food additives permitted in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 in Appendix A under appropriate Food Category(s) and those listed in GMP Table as applicable. The product may also contain ‘Other substances for use in food products’ permitted under regulation 3.3 as per appropriate Food category of the same regulation.”.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./405/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- 1) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- 2) F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- 3) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- 4) F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- 5) F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- 6) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- 7) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 8) F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- 9) F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- 10) F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- 11) F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
- 12) F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- 13) No. 3-16/Specified Foods/Notification (Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- 14) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- 15) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- 16) F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- 17) F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- 18) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- 19) F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- 20) F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- 21) F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- 22) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- 23) F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- 24) F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- 25) F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- 26) F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;

- 27) F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- 28) F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- 29) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- 30) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- 31) F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- 32) F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
- 33) F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- 34) F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
- 35) No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
- 36) F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September, 2017;
- 37) File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- 38) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- 39) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
- 40) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- 41) F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
- 42) F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
- 43) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February, 2018;
- 44) F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
- 45) F. No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 13th March, 2018;
- 46) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- 47) File No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- 48) F.No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
- 49) F.No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;
- 50) F.No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018;
- 51) Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, Dated 31st July, 2018;
- 52) File No.1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, Dated 8th November, 2018
- 53) F.No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, Dated 16th November, 2018.
- 54) F. No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, dated 19th November, 2018;
- 55) F.No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;
- 56) F. No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;
- 57) F. No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, dated 26th November, 2018;
- 58) F. No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012, dated 29th January, 2019;
- 59) F.No. Stds/F&VP/Notification (07)/FSSAI-2018, dated 5th July, 2019;
- 60) F.No. Stds/O&F/Notification (10)/FSSAI-2017, dated 5th July, 2019;
- 61) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notification (5) FSSAI-2018, dated 30th October, 2019
- 62) F.No. M&MP/Misc. Stds/Notification (03)/FSSAI-2018, dated 28th November, 2019;
- 63) F.No.1-110/SP (Biological Hazards)/Amendment-1/FSSAI/2018, dated 23rd June, 2020;
- 64) F. No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2018, dated 9th July, 2020;

-
- 65) F. No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2017, dated 9th July, 2020;
 - 66) F. No. Stds/ M&MPIP (3)/SP/FSSAI-2018, dated 9th July, 2020;
 - 67) F.No.A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI (p+1) , dated 23rd July, 2020;
 - 68) F. No. Stds./M&MP/Notification (04)/FSSAI-2019, dated 2nd September, 2020;
 - 69) F. No. Stds/Additives-1/Notification/FSSAI/2018, dated 16th September, 2020;
 - 70) F. No. 1/Additional Additives-III/Stds/Notification/FSSAI/2017, dated 9th October, 2020;
 - 71) F. No. Stds/Processing aids/Notification/FSSAI/2018, dated 9th October, 2020;
 - 72) F. No. 1-116/Scientific Committee/Notif./2010-FSSAI, dated the 29th December, 2020;
 - 73) F.No. 1-116/Scientific Committee/Notif.27/2010-FSSAI(E), dated the 4th March, 2021;
 - 74) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2017dated 18th March, 2021, and
 - 75) File No. 1-116/Scientific Committee/Notif.28.4/2010-FSSAI (1), dated 26th July, 2021.